कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर (म0प्र0)

आदेश

क्रमांक 256 / बायोमेट्रिक / 2018 दिनांक– 18 / 03 / 2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की एडवाईजरी / निर्देश क्रमांक–345 दिनांक–17.03.2020 की कण्डिका–5 में दिये गये निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जिला मुख्यालय शाजापुर एवं तहसील मुख्यालयों पर पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक–31.03.2020 तक बायोमेट्रिक्स मशीन के स्थान पर उपस्थिति रजिस्टर के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें । उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावें ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाजापुर

पृ0क्रमांक 1882 / बायोमेट्रिक / 2018 दिनांक– 18/03 / 2020

प्रतिलिपि :–

01. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, शाजापुर
की ओर प्रेषित कर लेख है कि जिला मुख्यालय पर पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को उक्त निर्देशों से अवगत कराया जावें। साथ ही नजारत अनुभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की उपस्थिति पंजी तत्काल संधारित की जावें।
02. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग,शुजालपुर / आगर / सुसनेर / नलखेड़ा
की ओर प्रेषित कर लेख है कि तहसील मुख्यालयों पर पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को उक्त निर्देशों से अवगत कराया जावें। साथ ही तहसील मुख्यालयों पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की उपस्थिति पंजी तत्काल संधारित की जावें।
03. आफिस मोहर्रिर, जिला न्यायालय, शाजापुर
की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला मुख्यालय पर पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण की उपस्थिति हेतु तत्काल उपस्थिति रजिस्टर संधारित करें ।
04. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, शाजापुर
की ओर जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने तथा तहसील मुख्यालयों पर प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभागों को ईमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाजापुर